10/4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद सं0 189/2021

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 केम्प कुचील दिनांक 28.10.2021 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया गया, जो बाद जांच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया।

तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि ग्राम बांसडा मेहरान पटवार हल्का कुचिल तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित कृषि भूमि ख0नं0 48 रकबा 3.6162 हैक्टयर किस्म ब0 अव्वल भूमि राजस्व रेकॉर्ड में कृषि कार्यो उपयोग की भूमि खातेदारी में समस्त जमीदारान् सा. देह बांसडा दर्ज है एवं इस खसरा नम्बर भूमि में मौके पर रकबा 0.1595 हैक्टयर भूमि पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बांसड़ा मेहरान विद्यालय का भवन बना होकर विद्यालय वर्तमान में संचालित है तथा उक्त विद्यालय के उपयोग में आ रही भूमि में मौके पर कृषि उपयोग नही हो रहा है। अतः तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2077 के खाता संख्या 91 में दर्ज खसरा नम्बर 48 रकबा 3.6162 हैक्टेयर में से विद्यालय के उपयोग में आने वाली भूमि रकवा 0.1595 हैक्टेयर भूमि को सिवायक किया जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा मजमे आम में तैयार की गई मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2077 के खाता संख्या 91 में ख0नं0 48 रकबा 3.6162 किस्म ब0अ0 "समस्त जमीदारा बासडा हिस्सा पूर्ण देह खातेदार" अंकन दर्ज है किन्तु मौके पर ख0नं0 48 कुल रकबा 3.6162 हैक्टयर में से रकबा 0.1595 हैक्टयर भूमि पर कृषि कार्य नही होकर सरकारी स्कूल भवन बना [illegible] तथा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 केम्प कुचिल में मजमे आम में [illegible] अनुसार गत 10 वर्ष से मौके पर रा0उ0प्रा0वि0 बासड़ा मेहरान निर्मित होकर संचालित है। अतः तहसीलदार [illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.02.09 14:26:23 IST
Reason: SelfAttested

या जाकर ग्राम बांसड़ा मेहरान स्थित खातेदारी भूमि ख0न0 48 रकबा 3.6162 में से रकबा 0.1595 हैक्टेयर भूमि को सिवायचक करने के आदेश दिये जाते है।

आदेश मैरे प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 केम्प एवं केम्प कोर्ट कुचील में मजमे आम में लिखाया जाकर आज दिनांक 28.10.2021 को सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(परसाराम)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.02.09 14:26:23 IST
Reason: SelfAttested